लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – गौरव अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 070/2023 (GCMS 2023/276)	दायर दिनांक 19.09.2023	निर्णय दिनांक 18.10.2023

अनवान

संजय कुमार जैन पिता मिश्रीलाल जैन निवासी गोठी भवन वार्ड नंबर 8 रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 9509170354)

अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 24.07.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./070/2023(सू.अ.)(18.10.2023)/731 दिनांक 20.09.023 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 18.10.2023 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से किसी भी प्रकार से कोई लिखित बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुये।

इस पर हमने पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है। हस्तगत प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा द्वारा किसी भी प्रकार से कोई लिखित टिप्पणी/अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन के संबंध में किसी भी प्रकार से खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात से अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य बखूबी प्रमाणित कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी/अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी को नियमानुार आवेदन पत्र दिनांक 24.07.2023 मय आवेदन शुल्क **969218** तादादी रूपये 10/- अक्षरे दस रूपये मात्र को उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा को प्रस्तुत किया गया है, जिसे सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार निर्धारित समायावधि में निस्तारित किया जाना था, किन्तु अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील आवेदन-पत्र दिनांक 14.09.2023 जो कि इस न्यायालय में दिनांक 18.09.2023 को प्राप्त हुआ है जो कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत आवेदन की निस्तारण की विहित समयावधि पश्चात् प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किये जाने की विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 24.07.2023 में वर्णित बिन्दु संख्या 01 से लगायत 03 तक सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होना अवगत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कराया गया है, एवं अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्राप्त आवेदन हेतु निर्धारित समायावधि में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा द्वारा अपीलार्थी के आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया है, जिससे अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 24.07.2023 जो कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 24.07.2023 को प्रेषित किया गया है, बाबत् स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र दिनांक 24.07.2023 से वांछित सूचना 10 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करावें एवं अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना स्वयं के कार्यालय से उपलब्ध नहीं होने की स्थिति वांछित सूचना जिस विभाग अथवा कार्यालय से अपेक्षित हो उक्त विभाग/कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी से स्वयं प्राप्त कर प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध करावें पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय को प्रेषित करावें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **18.10.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official